	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	आश्विन 9, गुरूवार, शाके 1942–अक्टूबर 1, 2020 *Asvina 9, Thursday, Saka 1942–October 1, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, अगस्त 18, 2020

संख्या एफ 1/ RTU/यूनियन बहाली/2020/पार्ट-1/15593 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 के द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक संघो को व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण अधिनियम की धारा-10 के प्रावधानुसार उनके पंजीयन को निरस्त (रद्) कर दिया गया था।

उक्त आदेश के साथ संलग्न सूची मे क्रम संख्या 1245, 1264 पर अंकित श्रम संघों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक 31.1.2019 एवं दिनांक 30.4.2019 को जारी किया गया कारण बताओ (शॉ-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक 19.6.2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी भी नही हो पाई साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि पूर्व पदाधिकारियों को नियमों की जानकारी नही होने के कारण नियत वर्षो के आय व्यय विवरण नही भिजवाये जा सके। भविष्य में वे नियत समय पर भिजवाते रहेगें। श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रबन्धन को मांग-पत्र प्रस्तुत कर, समझौता कर रहे है तथा वे लगातार कार्यशील रहे है।

श्रम संघो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा दिनांक 6.8.2020, के सुना गया। प्रार्थना पत्रों में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मै सन्तुष्ठ हूं। अतः मैं **पंतजलि भू, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर** इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघो के नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघो का विवरण

क्र. सं.	**श्रम संघ का नाम एवं पता**	**पंजीयन संख्या**	**आदेश दिनांक में अंकित क्रम संख्या**
1	जे.के टायर एम्पलाईज यूनियन, कांकरोली, जे.के ग्राम, जिला राजसमन्द	एआरटीयू/यूडीआर /3/80	1245
2	मेवाड बांगड कपडा धागा, यूनियन, बाठेडा हाउस, 174, फतेहपुरा, उदयपुर	आरटीयू/यूडीआर7/98	1264

पतंजलि भू,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान जयपुर

Government Central Press, Jaipur.